सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2025/34 दर्ज तिथि:– 10.03.2025

1. तालिब भाटी पुत्र मो. साबिर भाटी जाति काजी निवासी भरतीया हॉस्पीटल रोड़ वार्ड नं. 17 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

.................प्रार्थी

बनाम

1. नोरंगराम पुत्र श्री मालाराम जाति कुम्हार निवासी नया बास चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू राज.

.................अप्रार्थीगण

3. नोरतमल पुत्र श्री पोकरमल जाति कुम्हार निवासी नया बास, चूरू (राज.)
4. ऊंकार पुत्र श्री पोकरमल जाति कुम्हार निवासी नया बास, चूरू (राज.)
5. सुगरा बानो पत्नी श्री अस्तअलीखां जाति कायमखानी निवासी भरतिया रोड़ केशर बालिका स्कूल के पास, निवासी चूरू (राज.)
6. इस्लामनबी पुत्री अस्तअलीखां जाति कायमखानी निवासी भरतिया रोड़ केशर बालिका स्कूल के पास, निवासी चूरू (राज.)
7. अजीजमीयां पुत्र अस्तअलीखां जाति कायमखानी निवासी भरतिया रोड़ केशर बालिका स्कूल के पास, निवासी चूरू (राज.)
8. बाबूखां पुत्र अस्तअलीखां जाति कायमखानी निवासी भरतिया रोड़ केशर बालिका स्कूल के पास, निवासी चूरू (राज.)
9. मुमताजखां पुत्र अस्तअलीखां जाति कायमखानी निवासी भरतिया रोड़ केशर बालिका स्कूल के पास, निवासी चूरू (राज.)
10. मो. इकरार पुत्री अस्तअलीखां जाति कायमखानी निवासी भरतिया रोड़ केशर बालिका स्कूल के पास, निवासी चूरू (राज.)
11. युनस अली खां पुत्र करीमखां जाति कायमखानी निवासी भरतिया रोड़ केशर बालिका स्कूल के पास, निवासी चूरू (राज.)
12. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा नई सड़क

.................गौण अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:28 IST
Reason: SelfAttested

तालिब भाटी बनाम नोरंगराम आदि
2025 / 34
निर्णय दिनांक:-24.03.2026

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीगण:- श्री शिवगौतम सोलंकी
अप्रार्थी सं. 3:-श्री नन्दराम राहड़
अप्रार्थी सं. 4:-श्री कानसिंह राठौड़
अप्रार्थी सं. 5,7,9,11:-श्री हीरालाल मंडार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-111, 128
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956

-: निर्णय :-

निर्णय तिथि:- 24.03.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि खसरा नं. 1564 / 248 तादादी 10.1424 हैक्ट. रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) हैं। प्रार्थी की स्वयं की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 शामिल प्रार्थना-पत्र है।
2. प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण की संयुक्त कृषि भूमि है जो कि प्रार्थी के कब्जा, काश्त, खातेदारी में निर्बाद्ध रूप से चली आ रही है।
3. प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान प्रा. पत्र माननीय तहसीलदार महोदय चूरू को पेश किया जिसके आदेश क्रमांक Rj / 2014 / revnue / application form for sima gyan / 2565558677 / दिनांक 27.02.2005 की पालना में खसरा नं 1524 / 248 रोही चूरू के कृषि भूमि पर जरीब चलायी गई राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार मौके पर रकबे से कम भूमि पायी गयी।
4. प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच काश्त के समय सीमा संबंधित वाद-विवाद बना रहता है क्योंकि सीमा अस्पष्ट जर्जर क्षीण हालात में है और लगभग सीमाएं नष्ट सी हो चुकी है जिससे प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण को लगता है कि भविष्य में सीमा संबंधित वाद-विवाद हो सकते है। इसलिए आवश्यक हो गया कि प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण अपने खेत का पुख्ता सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है जिसमें उक्त सींव स्पष्ट नहीं होने के कारण दोनों पक्षों के बीच सींव को लेकर प्रतिदिन झगड़ा फसाद होने की संभावना बनी रहती है। जो कि सीमा का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाई जाये जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच सीमा संबंधी विवाद समाप्त हो सके। जिस कारण उक्त विविध प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।
5. प्रार्थी की में सींव को अप्रार्थी काटकर छिन्न भिन्न अस्पष्ट जर्जर हालत करने पर उतारू है इसलिए प्रार्थी के लिए यह जरूरी हो गया कि पुख्ता सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी उक्त कृषि भूमि की करवाई जाये। इसलिए यह उक्त विविध प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।
6. प्रार्थी एक सभ्य एवं भोला-भाला [illegible] अप्रार्थीगण के बीच सींव की कृषि भूमि की सीमा नष्ट व जर्जर व क्षीण [illegible] और खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद रहता है [illegible] आवश्यक हो गया है कि खसरा नं. 1564 / 248 तादादी 10.1424 [illegible] कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:28 IST
Reason: SelfAttested

(राज.) का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) लगाने जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

7. प्रार्थी को जरूरी हो गया है कि वह अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढ़ी) करवाना चाहता है जिससे आगे भविष्य में आस–पड़ोसी से कोई भूमि सीमा ज्ञान संबंधित विवाद ना रहे।

8. सभी प्रक्रिया तहसीलदार के माध्यम से होनी है जिस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बतौर अप्रार्थीगण संख्या 02 बनाया गया है।

9. प्रार्थी पत्थरगढी व सीमा ज्ञान के लिए निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिए तैयार है तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेंगे तो आवश्यक फीस जमा करवा दी जावेगी।

10. विवादित कृषि भूमि श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार के स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

11. अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं खसरा नं. 1564/248 तादादी 10.1424 हैक्ट. रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) का सीमा ज्ञान करवाया जाकर सीमा पर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) करवाई जावे एवम् प्रार्थी उचित शुल्क देने हेतु तैयार है।

12. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर गौण अप्रार्थीगण संख्या 5, 7, 9, 11 की ओर से अधिवक्ता श्री हीरालाल मंडार ने वकालतनामा पेश किया। गौण अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नन्दराम राहड़ ने वकालतनामा पेश किया। गौण अप्रार्थी सं. 4 श्री कानसिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया। गौण अप्रार्थीगण संख्या 5, 7, 9, 11 की ओर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया कि

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन खसरा नम्बर 1564/248 तादादी 10.1424 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा चूरू में स्थित होना सही लिखा है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी के अकेले की खातेदारी न होकर गोण अप्रार्थी सं. 03 ता 11 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है।
2. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित कथन के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में संयुक्त होना सही लिखा है। प्रार्थी का कब्जा. काश्त वादगत कृषि भूमि पर स्वयं को साबित करना है। इसलिए कब्जा काश्त निर्बाद्ध रूप से चले आना अस्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 में वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखे गये हैं सही होने से स्वीकार किये जाते हैं। गोण अप्रार्थीगण संख्या 05 ता 11 का बैनामा दिनांक 29.08.2003 से खसरा नम्बर 1564/248 की 06 बीघा 13 बिश्वा कृषि भूमि पर पटिटयां रोपकर तारबन्दी कर रखी है एवं उसी समय से कब्जा काश्त कर रहे हैं। उपरोक्त खसरा नम्बर पर गोण अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 11 रिहायसी ढाणी बनाकर कब्जाकाश्त उपयोग उपभोग करते आ रहा है।
4. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 04 में वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखे गये हैं सही नहीं होने से अस्वीकार किये जाते हैं। वादगत कृषि भूमि पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। मौके पर प्रार्थी ने कभी भी [illegible] को काश्त नहीं किया। अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 11 का प्रार्थी [illegible] वाद विवाद नहीं हुआ। संयुक्त खातेदारी की कृषि [illegible] नहीं हो जाता तब तक किसी भी सहखातेदार को कब्जे के आधार पर पत्थरगढी का आदेश नहीं दिया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:28 IST
Reason: SelfAttested

सकता। प्रार्थी को छोड़कर सभी खातेधारक पूर्व खातेदार द्वारा दिये गये कब्जे पर अपनी तारबन्दी कर कब्जा कर रखा है। प्रार्थी ने वादगत खसरा नम्बर की कृषि भूमि हाल ही में क्रय की है जिसका कब्जा भी पूर्व क्रेता से नहीं लिया गया है ना पूर्व क्रेता के पास कब्जा काश्त था। इसलिए बिना कब्जे के पत्थरगढी कराने का प्रार्थी को कानूनन कोई अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

5. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 05 में वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखे गये हैं प्रार्थी को ही साबित करने हैं। प्रार्थी खसरा नम्बर 1941 / 1565 अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी खेत के चिपते ही कब्जा काश्त है। प्रार्थी को यह भी साबित करना है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी की सींव को काटकर अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी की कब्जे की कृषि भूमि में प्रवेश कर गया और उसके साथ वाद विवाद हो रखा है।

6. प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार किये जाते हैं। प्रार्थी ने गोण अप्रार्थीगण से सीमा से संबंधित कोई बात नहीं की। प्रार्थी ने स्वयं ने लिखा है कि दिनांक 27.02. 2025 को ख. नं. 1564 / 248 सीमा ज्ञान हल्का पटवारी से करवाया है जबकि वादगत कृषि भूमि में गोण अप्रार्थीगण भी सहखातेदार हैं। जिनकी सहमति लिये बिना ही सीमज्ञान करवा लिया जिससे पता चलता है कि प्रार्थी कितना भोला भाला व्यक्ति है जबकि कानूनन जब तक सभी खातेधारकों की सहमति नहीं होती है तब तक सीमाज्ञान नहीं हो सकता।

7. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 07 जिस प्रकार से लिखी गई है अगर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 11 की मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर पुख्ता सीव कायम की जावे। प्रार्थी से अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 11 ने वादगत कृषि भूमि बहुत पहले खरीद कर रखी है एवं उसी समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 05 ता 11 का कब्जा अपनी पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 250 के चिपते ही पश्चिम में है। वहीं पर पूर्व खातेदार ने कब्जा दिया था। अप्रार्थी संख्या 05 ता 11 ने अपनी पैतृक कृषि भूमि का सीमाज्ञान वर्तमान में करवा रखा है।

8. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 08 कानूनी होने से श्रीमान् न्यायालय को ही देखना है।

9. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 09, 10 व व 11 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

विशेष कथन

10. प्रार्थी ने वादगत कृषि भूमि बावत विभाजन का दावा कर रखा है जिसमें प्रार्थी ने स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश कर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति का आदेश कर रखा है जब तक विचाराधीन दावा का निर्णय गण व अवगुण आधार पर नहीं हो जाता है तब तब प्रार्थी विचाराधीन प्रार्थना–पत्र के आधार पर पत्थरगढ़ी कानूनन नहीं करवा सकता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

11. प्रार्थी का वादगत कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और जिस सह खातेधारक का कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग नहीं है वह पत्थरगढी कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी को कब्जा प्राप्तिः व विभाजन का दावा कर विवादित कृषि भूमि में कब्जा लेना चाहिये उसके बाद [illegible] यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर [illegible] खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:28 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 व गौण अप्रार्थी संख्या 6, 8, 10 पर विधिवत तामील होने के बावजूद इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आया जिसके कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 03, 04 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब प्रार्थना—पत्र बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार भूमिधारी है।

13. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक सीमा ज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। अधिवक्ता गौण अप्रार्थीगण संख्या 5, 7, 9, 11 की ओर से दौराने बहस प्रार्थी ने वादगत कृषि भूमि बाबत विभाजन का दावा कर रखा है जिसमें प्रार्थी ने स्थगन प्रार्थना—पत्र पेश कर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति का आदेश कर रखा है जब तक विचाराधीन दावा का निर्णय गण व अवगुण आधार पर नहीं हो जाता है तब तब प्रार्थी विचाराधीन प्रार्थना—पत्र के आधार पर पत्थरगढ़ी कानूनन नहीं करवा सकता है। इसलिए प्रार्थना—पत्र आधारहीन होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी का वादगत कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और जिस सह खातेधारक का कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग नहीं है वह पत्थरगढी कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी को कब्जा प्राप्तिः व विभाजन का दावा कर विवादित कृषि भूमि में कब्जा लेना चाहिये उसके बाद पत्थरगढी करवानी चाहिये इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

14. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

15. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes.***—*All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Records Officer in the manner laid down in section 111:*

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:28 IST
Reason: SelfAttested

> ***Provided that** applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

16. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में यह निवेदन किया गया कि खसरा नं. 1564 / 248, रकबा 10.1424 हेक्टेयर, स्थित रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू, प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 3 ता 11 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि की सीमाएं वर्तमान में अस्पष्ट, जर्जर एवं क्षीण अवस्था में हैं, जिससे भविष्य में गंभीर विवाद उत्पन्न होने की संभावना है। अतः प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त भूमि का विधिवत सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाए। अप्रार्थीगण संख्या 5, 7, 9, 11 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में यह कहा गया कि भूमि संयुक्त खातेदारी की है, प्रार्थी का कब्जा विवादित है, विभाजन वाद न्यायालय में लंबित है, बिना विभाजन पत्थरगढ़ी नहीं की जा सकती। अन्य अप्रार्थीगण में से कुछ उपस्थित नहीं हुए, जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

न्यायालय का विचार संयुक्त खातेदारी का तथ्य अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की है। सीमाज्ञान का उद्देश्य स्वामित्व का निर्धारण करना नहीं है, बल्कि भूमि की वास्तविक स्थिति एवं सीमाओं को स्पष्ट करना है। यह प्रक्रिया विवाद निवारण हेतु आवश्यक है।

विभाजन वाद लंबित होना केवल इस आधार पर कि विभाजन वाद लंबित है, सीमाज्ञान की कार्यवाही को रोका जाना न्यायोचित नहीं है। सीमाज्ञान से किसी पक्ष के स्वामित्व अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं।

कब्जे से संबंधित विवाद पृथक विषय है, जिसका निराकरण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। सीमाज्ञान की कार्यवाही कब्जे के अंतिम निर्धारण का विकल्प नहीं है। विवाद की संभावना प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य सीमा विवाद की संभावना स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू खसरा संख्या 1564 / 248 रकबा 10.1424 हेक्टेयर रोही चूरू पटवार मण्डल चूरू तहसील चूरू की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए सीमा के समीप सभी खातेदारों की [illegible] सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करावें। संबंधित पक्षकारों / हितधारकों की पूर्व [illegible] उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जा[illegible] जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं [illegible] उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की [illegible]र पालना रिपोर्ट न्यायालय को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:28 IST
Reason: SelfAttested

अवगत करायें। यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमांकन तक सीमित रहेगा तथा इससे किसी भी पक्ष के स्वामित्व, कब्जा अथवा विभाजन संबंधी अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 23.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:28 IST
Reason: SelfAttested